

**ग्राम पंचायत भनाला विकास खंड रैत, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग —एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवे वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम -1994 की धारा 118 में होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या: पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक 7-4-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत भनाला, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे।

प्रधान

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री मति मीना कुमारी	1-4-14 से 22-1-16
2	श्री मति नीलम कुमारी	23-1-16 से 31-3-17

सचिव

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री महिन्द्र सिंह	01-04 -2014 से 23-11-2016
2	श्री कर्ण सिंह	24-11-2016 से 31-03-2017

ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत भनाला, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रमांक	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तर्षे में भारी अन्तर	7.44
2	6	वित्तीय नियमों की अवहेलना	-----
3	9	अनुदान राशियों का अवरोधन	24.85
4	10	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	0.59
5	11	अनुचित व्यय	0.34

भाग दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत भनाला, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री केवल सिंह अनुभाग अधिकारी तथा श्री पवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 13.11.17 से 16.11.17 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 02/2015 03/2016 06/2016 व 09/2014, 09/2015, 01/2017 का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के निरीक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत भनाला विकास खण्ड रैत जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0 प्र0 शिमला-09 को शीघ्रअतिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या-78 दिनांक 16-11-17 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत भनाला से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत भनाला द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

स्व-स्त्रोत व अनुदान :-

ग्राम पंचायत भनाला के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक स्व-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 व 2 में भी दिया गया है।

स्व-स्त्रोत

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	175728	46491	222219	20690	201529
2015-16	201529	31011	232540	29684	202856
2016-17	202856	57032	259888	59995	199893

अनुदान

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	1089004	3154878	4243882	3202141	1041741
2015-16	1041741	3031029	4072770	2511111	1561659
2016-17	1561659	3780839	5342498	2857096	2485402

दिनांक 31.03.2017 को बैंक मै जमा राशि का विवरण :-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	जमा राशि
1	के.सी.सी.रैत	50051791045	200175
2	के.सी.सी.रैत	20040016388	19192
3	के.सी.सी.रैत	50051791034	1466364
4	के.सी.सी. रैत	50054058229	110622
5	के.सी.सी.रैत	50059806588	55408
6	के.सी.सी.रैत	50061531799	51361
7	के.सी.सी.रैत	20040018579	20494
8	के.सी.सी.रैत	50054423181	500
9	के.सी.सी.रैत	50051896468	13333
10	के.सी.सी.रैत	50054178568	2416
11	के.सी.सी.रैत	50051942462	1151
12	के.सी.सी.रैत	50055862468	270
13	हस्तगत राशि		शून्य
कुल योग			₹1941286

अन्तर :- ₹2685295 - ₹1941286 = ₹744009

5 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड बहियों व बैंक खातों के अन्तःशेष में ₹7.44 लाख का भारी का अन्तर:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत भलाना द्वारा हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते)नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31-3-17 को रोकड बही तथा बैंक खातों के अन्तःशेष में ₹744009 का अन्तर रोकड बही में अधिक शेष के रूप में है जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा 4 में दिया गया है।

अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते तथा इस अन्तर का मिलान अतिशीघ्र किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए।

6 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करना :-

लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड बही में प्रतिदिन हुए लेन देन की प्रविष्टियों उपरान्त अन्त शेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त व वर्षान्त में

उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट,लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है । परन्तु ग्राम पंचायत भनाला में रोकड बही के रखरखाव में इन नियमों की अनुपालना नहीं की गई है । अतः नियमों के विरुद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए ।

7 वर्गीकृत सार को तैयार न करना:—

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए एक भाग आय व दूसरा भाग व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक माह के लिए अलग पन्ने पर प्रत्येक आय व व्यय के लेन देनों के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है । ग्राम पंचायत भनाला द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत में आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु साथ में आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का विवरण तैयार करने में अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए ।

8 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना:—

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप -11 में पंचायत के आय तथा व्यय के प्राक्कलन को तैयार करके ग्राम सभा में पारित करवाना अपेक्षित था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था । अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए ।

9 अनुदान ₹24.85 लाख का अवरोधन:—

पंचायत द्वारा परिशिष्ट 1 व 2 पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-3-17 तक अनुदान से प्राप्त राशियों में से ₹2485402 उपयोग हेतु

शेष थी। यदि इन्ही परिशिष्टों में उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि अवरोधित अनुदान राशियों की मात्रा प्रति वर्ष बढ़ती ही जा रही है। जहां 31-3-15 को यह ₹1041741 थी वहीं 31-3-17 तक यह बढ़कर ₹2485402 हो गई है। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए ।

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.59 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:—

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं । चयनित मास के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹59000 के स्टॉक/स्टोर का क्रय किया गया है परन्तु नियमानुसार निविदा सम्बन्धी अन्य औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गई हैं जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ लिया जा सके। इसके अतिरिक्त उक्त क्रय किए गए स्टॉक/स्टोर का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए ।

11 ₹0.34 लाख का अनुचित व्यय:—

कार्य का नाम :- निर्माण कार्य कच्ची सड़क मेन रोड से उत्तम चन्द के घर तक माप

पुस्तिका संख्या-7338

स्वीकृत राशि-40000 व 80000

ग्राम पंचायत भनाला की सामान्य रोकड बही की जाँच करने पर पाया गया कि वाउचर संख्या 87 व 88 माह 9/14 मे ₹16000 व ₹18000 का भुगतान बिल सं० शून्य दिनांक 13-9-14 व 18-9-14 मसेर्ज अबिषेक सिंह, सरकारी ठेकेदार व जनरल सप्लायेर

गांव क्यारी डाकघर शाहपुर को जे० सी० बी० द्वारा कार्य करने की एवं में 16 घंटे व 18 घंटे 1000/ घंटे के हिसाब से कुल ₹34000 का भुगतान किया गया है परन्तु वास्तव में माप पुस्तिका की जाँच करने पर पाया गया कि यह खर्चा मजदूरी प्रति व्यक्ति दर्शाया गया है जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इस खर्चे के भुगतान बारे उचित स्रोत से जांच करके वास्तविक स्थिति से लेखा परीक्षा को अबगत करवाया जाये अन्यथा भुगतान की गई अनुचित राशि का उचित स्रोत से वसूली करके पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

12 व्यय/वाउचरों को प्रधान द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए बिना भुगतान करना

ग्राम पंचायत भनाला की माह 9/14 मनरेगा के व्यय वाउचर की जांच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार व्यय वाउचरों के भुगतान आदेश सम्बन्धित प्रधान द्वारा प्रति हस्ताक्षरित नहीं थे। अतः नियमानुसार इन व्यय वाउचरों के भुगतान आदेशों को सम्बन्धित ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए।

क्रम स०	दिनांक	वा० स०	रो वही पृष्ठ स०	मस्टरोल स०/दिनांक	नि०कार्य का नाम राशि
1	8-9-14	36	7	1166/8-4-14	कूहल व पुली नगीन चन्द के घर के पास 22792
2	8-9-14	37	7	1168/8-9-14	उपली कूहल से खेम चन्द की जमीन 26796
3	8-9-14	38	7	1170/8-9-14	जीप रोड महिंदर के घर तक 18480
4	8-9-14	39	7	1172	जीप रोड सडक से कंवर के घर तक 60060

13 विहित रजिस्ट्रों का रख-रखाव न करना—

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए । रजिस्ट्रों का विवरण निम्न प्रकार से है :-

- 1 स्टाक रजिस्टर
- 2 चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर
- 3 जल प्रभार रजिस्टर

- 4 भवनों व दुकानों के किराए से सम्बन्धित रजिस्टर
- 5 अन्य स्रोतों से प्राप्त आय का रजिस्टर
- 6 अनुदान प्राप्ति से सम्बन्धित रजिस्टर
- 7 गृह कर वसूली रजिस्टर
- 8 डाक टिकट रजिस्टर
- 9 निर्माण कार्यों का रजिस्टर इत्यादि ।

14 प्रत्यक्ष सत्यापन:—

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार न स्थाई या अस्थायी भण्डार का पुस्तकों में इन्द्राज किया गया है और न ही सत्यापन किया गया है जिसके बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

15 विविध अनियमितताएँ:—

- 15.1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही है ।
- 15.2 निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर, बिक्रीकर, लेबर सेस तथा रायलटी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।
- 15.3 पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(1) के अन्तर्गत सिटिंग फीस का भुगतान किया जाता है। ग्राम पंचायत में इस फीस के भुगतान से सम्बन्धित बिलों की जांच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजिरी रजिस्टर विवरण के बिना ही कर दिया गया है। अतः इस नियम विरुद्ध की गई कार्यवाही के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 लघु आपत्ति विवरणिका:- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है।

17 निष्कर्ष:- लेखों के रखरखाव में हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। यह बात पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखाओ के रख रखाव नियमानुसार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएं।

हस्ता/-

(ज्ञान चन्द शर्मा)

उप निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009

फोन नं0 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2) 164 / 2017 खण्ड-1-2373-2376 दिनांक 04.04.2018 शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
- 3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा हि0प्र0
- पंजीकृत** 4 सचिव, ग्राम पंचायत भनाला, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/-

(ज्ञान चन्द शर्मा)

उप निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009

फोन नं0 0177-2620881